संख्या–1136/पांच–5–2020

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ:: दिनांक: 22 मई, 2020**

विषय:–कोविड–19 की जॉच के संबंध में।

महोदय,

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, नई दिल्ली द्वारा कोविड–19 की जॉच हेतु वर्जन–5 गाइडलाइन्स दिनांक 18.05.2020 निर्गत की गयी है। जिसमें निम्नवत् व्यवस्था दी गयी है:–

(1) समस्त सिम्पटोमैटिक (आई0एल0आई0 लक्षणयुक्त) व्यक्ति जिनके द्वारा विगत 14 दिनों में अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा की गयी हों।
(2) समस्त सिम्पटोमैटिक (आई0एल0आई0 लक्षणयुक्त) व्यक्ति जो प्रयोगशाला द्वारा कोविड–19 के पुष्ट रोगी के सम्पर्क में आए हों।
(3) समस्त सिम्पटोमैटिक (आई0एल0आई0 लक्षणयुक्त) स्वास्थ्य कर्मी/**फ्रन्ट लाइन कार्यकर्ता जो कोविड–19 के प्रसार को कम या नियंत्रण कार्य में शामिल है।**
(4) सीवियर एक्यूट रेस्पॉरेटरी इन्फ्रेक्शन (SARI) से ग्रसित समस्त व्यक्ति है।
(5) ऐसे एसिम्पटोमैटिक व्यक्ति जो प्रत्यक्ष और उच्च जोखिम वाले व्यक्ति, जो पुष्ट रोग के सम्पर्क में आये हों। उनकी जांच, **सम्पर्क में आने के पांचवें दिन तथा दसवें दिन एक बार की जाएगी।**
(6) हॉट–स्पॉट/कन्टेन्मेन्ट जोन के अन्दर ऐसे समस्त व्यक्ति जिनमें हों।
(7) **चिकित्सालयों में भर्ती समस्त मरीज जिनमें (आई0एल0आई0) के लक्षण विकसित हुए हों।**
(8) **प्रदेश में लौटने वाले समस्त सिम्पटोमैटिक प्रवासी/माइग्रेन्टस जिनमें लौटने के 07 दिन के अन्दर (आई0एल0आई0) के लक्षण हों।**
(9) **जांच न होने की वजह से कोई भी आकस्मिक प्रकिया (प्रसव सहित) नहीं रोकी जाएगी। यदि मरीज उक्त 1 से लेकर 8 के अन्तर्गत आता है तो उसके नमूने को जांच हेतु भेजा जा सकता है।**

नोट:–

- इनफ्लूवेन्जा लाइक इलनेस (आई0एल0आई0)–एक्यूट रेस्पॉरेटरी इन्फ्रेक्शन के साथ बुखार हों, जिसे 38 डिग्री सेन्टीग्रेड के बराबर या अधिक शरीरिक तापमान और खांसी हों।
- सारी (SARI)–एक्यूट रेस्पॉरेटरी इन्फ्रेक्शन के साथ बुखार हों, जिसे 38 डिग्री सेन्टीग्रेड के बराबर या अधिक तापमान और खांसी हों, और जिसे अस्पताल में उपचार की आवश्यकता हों।
- उपरोक्त के संबंध में समस्त जांच रियल टाईम आर0टी0–पी0सी0आर0 द्वारा ही किये जाने की संस्तुति की गयी है।
- पूर्व में निर्गत गाइडलाइन्स के सापेक्ष इस गाइडलाइन्स में किये गये बदलाव को (बोल्ड फान्ट) में सम्मिलित किया गया है।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

vikas/go.

संख्या–1136 (1)/पांच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
3. निदेशक, संचारी रोग, उ०प्र०।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
29/05/2020

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव

20.5.20
20/05/2020

vikas/go.

सं०- 1136/पांच-5-2020

INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

Strategy for COVID19 testing in India (Version 5, dated 18/05/2020)

1. All symptomatic (ILI symptoms) individuals with history of international travel in the last 14 days.
2. All symptomatic (ILI symptoms) contacts of laboratory confirmed cases.
3. All symptomatic (ILI symptoms) health care workers / **frontline workers involved in containment and mitigation of COVID19.**
4. All patients of Severe Acute Respiratory Infection (SARI).
5. Asymptomatic direct and high-risk contacts of a confirmed case to be tested once **between day 5 and day 10 of coming into contact.**
6. All symptomatic ILI within hotspots/containment zones.
7. **All hospitalised patients who develop ILI symptoms.**
8. **All symptomatic ILI among returnees and migrants within 7 days of illness.**
9. **No emergency procedure (including deliveries) should be delayed for lack of test. However, sample can be sent for testing if indicated as above (1-8), simultaneously.**

NB:

- *ILI case is defined as one with acute respiratory infection with fever ≥ 38°C AND cough.*
- *SARI case is defined as one with acute respiratory infection with fever ≥ 38°C AND cough AND requiring hospitalization.*
- *All testing in the above categories is recommended by real time RT-PCR test only.*
- *All changes incorporated in these guidelines as compared to the previous version have been indicated in bold.*

संजय
20/05/2020